पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

कारू सिंह उर्फ अनीश कुमार उर्फ अनीश कुमार और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

2024 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 79

[के साथ 2024 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 163]

22 अगस्त 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार और माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

मुद्दा यह उठा कि "क्या पोक्सो केस संख्या 17/2021 में विशेष न्यायाधीश, पोक्सो-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-VII, गया द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 19.12.2023 और 21.12.2023 को दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश कानून में टिकने योग्य है।

हेडनोट्स

दोनों अपीलों पर एक साथ विचार किया गया है क्योंकि ये विद्वान अनन्य विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो-सह-अपर सत्र न्यायाधीश-सप्तम, गया द्वारा महकार थाना कांड संख्या 83/2021 से उत्पन्न पॉक्सो मामला संख्या 17/2022 में पारित दोषसिद्धि और सजा के एक ही विवादित निर्णय दिनांक 19.12.2023 और 21.12.2023 के विरुद्ध दायर की गई हैं, जिसके तहत तीनों अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया गया है और उन्हें शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिए कठोर कारावास और प्रत्येक को 70,000/- रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, अपीलकर्ताओं को एक वर्ष और दो महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटने का निर्देश दिया गया है। - साक्ष्य के अनुचित मूल्यांकन के आधार पर दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी। निर्णय दिया गया,

निचली अदालत ने कथित घटना की तारीख पर सूचक/पीड़िता को बालिग पाया है और तदनुसार सभी अपीलकर्ताओं को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की

धारा 376(3) और 376(डीए) के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया है और विद्वान निचली अदालत के इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, हम घटना की तारीख पर पीड़िता को बालिग मानने के लिए बाध्य हैं।

अब, हमारे सामने केवल यह तय करने का प्रश्न है कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे यह साबित कर दिया है कि अपीलकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी के तहत दंडनीय अपराध के दोषी हैं।

अभियोजन पक्ष के मामले को पी.डब्लू.-6 डॉ. शकुंतला नाग से भी समर्थन नहीं मिलता है, जिन्होंने 23.10.2021 को सूचक/अभियोक्ता का मेडिकोलीगल परीक्षण किया था - उन्हें अभियोक्ता के शरीर पर हिंसा और संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला था। उसे वर्तमान में यौन संबंध बनाने के कोई संकेत या लक्षण नहीं मिले, न ही उसे कोई अन्य असामान्य जानकारी मिली। - अपनी जिरह में, उसने यह भी गवाही दी है कि सामूहिक बलात्कार में बाहरी जननांग पर चोट या घाव होना अनिवार्य है, लेकिन अभियोक्ता के गुप्तांग पर ऐसी कोई चोट नहीं थी। उसे कोई भी शुक्राणु, न तो मृत और न ही जीवित, नहीं मिला। उसे लिबिया मनोरा लाल भी नहीं मिला।

इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियोक्ता सुसंगत और विश्वसनीय नहीं है। उसकी गवाही अभियोजन पक्ष के मामले को अत्यधिक संदिग्ध बनाती है।

अतः, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है।

तदनुसार, इन्हें रद्द किया जाता है।

अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

अपीलकर्ता शशि सिंह उर्फ शशि रंजन जमानत पर हैं। उन्हें जमानत बांड के तहत अपने दायित्व से मुक्त किया जाता है। चूँकि अपीलकर्ता कारू सिंह उर्फ अनीश कुमार उर्फ अनीश कुमार और धीरज कुमार हिरासत में हैं, इसलिए यदि उन्हें किसी अन्य मामले में हिरासत में

रखने या वांछित होने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। इस निर्णय की एक प्रति संबंधित जेल के अधीक्षक को अनुपालन एवं अभिलेख हेतु तत्काल भेजी जाए। मामले के अभिलेख तत्काल विचारण न्यायालय को लौटा दिए जाएं।

अधिनियमों की सूची

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 2. भारतीय दंड संहिता, 1860 3. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

मुख्य शब्दों की सूची

- पोक्सो - दोषसिद्धि - सजा - अपील - साक्ष्य - प्रक्रियात्मक कानून

मामला उत्पन्न: आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 79/2024 और आपराधिक अपील (डीबी) संख्या 163/2024, थाना मामला संख्या-83 वर्ष-2021 थाना- महकार जिला- गया से उत्पन्न।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या **79/2024** में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता; मो. इम्तियाज अहमद, अधिवक्ता; श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता; श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री अजय मिश्रा, एपीपी

सूचनाकर्ता की ओर से: श्री संभव गुप्ता, अधिवक्ता।

(आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या **163/2024** में)

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से: श्री अजय मिश्रा, एपीपी।

सूचनाकर्ता की ओर से: श्री संभव गुप्ता, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोटस बनाया गाया: शारंग धर उपाध्याय, सेवानिवृत न्यायिक दंडाधिकारी

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 79

थाना कांड सं.-83 वर्ष-2021 थाना-महकर जिला-गया से उद्भूत

==

1. कारू सिंह उर्फ अनिश कुमार उर्फ अनीश कुमार पिता श्री राम कलेश सिंह उर्फ राम कलेश शर्मा निवासी गाँव-नैली, थाना-महकर, जिला- गया।

2. धीरज कुमार पिता नवीन सिंह निवासी गाँव-नैली, थाना-महकर, जिला- गया।

... ... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2024 की आपराधिक आवेदन (खं.पी.) सं. 163

थाना कांड सं.-83 वर्ष-2021 थाना-महकर जिला-गया से उद्भूत

==

शशि सिंह उर्फ शशि रंजन पिता रवींद्र सिंह निवासी गाँव-नैली, थाना-महकर, जिला।- गया।

... ... अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थिति:

(2024 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 79 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
		मो.इम्तियाज अहमद, अधिवक्ता
		श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता
		श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री अजय मिश्रा, स.लो.अ.
सूचनादाता के लिए	:	श्री संभव गुप्ता, अधिवक्ता

(2024 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 163 में)

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री रमाकांत शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री राजेश कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री अजय मिश्रा, स.लो.अ

सूचनादाता के लिए : श्री संभव गुप्ता,अधिवक्ता

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सी.ए.वी निर्णय

(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार)

तारीखः22-08-2024

दोनों अपीलों को एक साथ लिया गया है क्योंकि ये एक ही दोषसिद्धि के विरुद्ध दायर की गई हैं, जो कि 19.12.2023 के निर्णय और 21.12.2023 के सजा आदेश के विरुद्ध हैं। ये निर्णय माननीय विशिष्ट विशेष न्यायाधीश, पोक्सो-सह-अपर सत्र न्यायाधीश-VII, गया द्वारा पारित किया गया था, जो पोक्सो मामला सं. 17/2022 (महकर थाना कांड सं. 83/2021) से उद्भूत है जिसमें तीनों अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376-घ के अंतर्गत दोषी पाया गया है और उन्हें शेष जीवनकाल के लिए कठोर कारावास की सजा दी गई है, साथ ही प्रत्येक को ₹70,000/- (सत्तर हजार रुपये) का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में, अपीलार्थियों को एक वर्ष और दो महीने की साधारण कारावास की अपर सजा भुगतनी होगी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला जैसा की लिखित प्रतिवेदन से सामने आया है, महकर पुलिस थाना, गया के प्रभारी अधिकारी को संबोधित पीड़िता/सूचनादाता की रिपोर्ट है कि सूचनादाता 14 साल की है। 16.10.2021 को वह दुर्गा पूजा देखने गई थी। 11 बजे रात में, अपीलार्थी शशि सिंह ने अपने मोबाइल नंबर 6203025364 से उसके मोबाइल नंबर 8434869849 पर कॉल किया और उसे बताया कि उसकी माँ उसे घर पर फोन कर रही है। वह अपने घर जाने लगी। गाँव में जाते समय, अपीलार्थी शशि सिंह, धीरज कुमार और कारू सिंह ने उसे जबरन पकड़ लिया और उसे उठा लिया और +2 कॉलेज की छत पर ले गए

जहाँ उनके द्वारा एक-एक करके उसके साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार के बाद, अपीलार्थी/कारू सिंह ने सह-अभियुक्त को उसे मारने और फेंक देने के लिए कहा। लेकिन अपीलार्थी धीरज कुमार और कारू सिंह सावधान हो गए कि कि उन्हें हत्या के मामले में फंसाया जाएगा। अपीलार्थी/धीरज कुमार ने उसकी तस्वीरें खींची। राहगीरों को वहाँ से जाते देख तीनों अपीलार्थी उसे छोड़कर भाग गए। इसलिए वह बच गई। घटना के कारण, वह आत्महत्या करने के लिए अपना घर छोड़ चुकी थी, लेकिन उसे एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत ने बचा लिया।

3. सूचनादाता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, 2021 का महकर थाना कांड सं. 83 भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3), 376 (डी) और 376 (डी.ए.) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीनों अपीलार्थियों के खिलाफ 23.10.2021 को दर्ज किया गया था।

4. जाँच के बाद, तीनों अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3), 376-डी और 376-डी.ए. और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप तय किए गए थे। हालाँकि, अपीलार्थियों ने दोषी नहीं होने का दावा किया और मुकदमा चलाने का अनुरोध किया।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित आठ गवाहों से पूछताछ कीः-

(i) अभि.सा.1-पीड़िता का पिता

(ii) अभि.सा.2-पीड़िता स्वयं

(iii) अभि.सा.3-प्रवीण सिंह

(iv) अभि.सा.4-पीड़िता की माँ

(v) अभि.सा.5-लाल बाबू, विद्यालय के प्राचार्य

(vi) अभि.सा.6-डॉ. शकुंतला नाग

(vii) अभि.सा.7-सुरेंद्र पासवान, जांच अधिकारी

(viii) अभि.सा.8-अजय कुमार, एफ. एस. एल. के सहायक निदेशक।

6. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी दर्ज किएः

(i) प्रदर्श-पी-1/अभि.सा.2-पीड़िता/सूचनादाता का लिखित आवेदन।

(ii) प्रदर्श-पी-2/अभि.सा.2-164 दं.प्र.सं. के बयान पर पीड़िता/सूचनादाता का हस्ताक्षर।

(iii) प्रदर्श-पी-3/अभि.सा.4-जब्ती सूची में पीड़िता की माँ का हस्ताक्षर

(iv) प्रदर्श-पी-4/अभि.सा.4-जब्ती सूची में पीड़िता के पिता के हस्ताक्षर

(v) प्रदर्श-पी-5/अभि.सा.4-धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत पीड़िता के बयान पर उसके हस्ताक्षर।

(vi) प्रदर्श-पी-6/अभि.सा.4-धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत पीड़िता के बयान पर पीड़िता के पिता का हस्ताक्षर। मध्य विद्यालय, नैली की प्रवेश पंजिका की प्रविष्टि संख्या 117

(viii) प्रदर्श-पी-8/अभि.सा.5-मध्य विद्यालय, नैली से जारी पीड़िता की जन्म तिथि के बारे में प्रमाण पत्र।

(ix) प्रदर्श-पी-9/अभि.सा.5-प्रवेश रजिस्टर के उद्धरण की छायाप्रति पर माध्यमिक विद्यालय, नैली के प्राचार्य का हस्ताक्षर।

(x) प्रदर्श-पी-10/अभि.सा.6-पीड़िता की चिकित्सा जांच रिपोर्ट

(xi) प्रदर्श-पी-11/अभि.सा.7-औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट

(xii) प्रदर्श-पी-12/अभि.सा.7-प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण

(xiii) प्रदर्श-पी-13/अभि.सा.7-धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत दर्ज पीड़िता का बयान

(xiv) प्रदर्श-पी-14/अभि.सा.7-विद्यालय से जारी पीड़िता की जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र

(xv) प्रदर्श-पी-15/अभि.सा.7-जब्त सूची

(xvi) प्रदर्श-पी-16/अभि.सा.8-एफ. एस. एल. रिपोर्ट पर एफ.एस.एल. के सहायक निदेशक अजय कुमार के हस्ताक्षर।

(xvii) प्रदर्श-पी-17/अभि.सा.8-एफ. एस. एल. के सहायक निदेशक, अर्थात्, हिमजय कुमार के हस्ताक्षर।

(xviii) प्रदर्श-पी-18/अभि.सा.8- एफ.एस.एल. रिपोर्ट

(xix) प्रदर्श-पी-19/अभि.सा.8- एफ. एस. एल. की आवेदन सं. आई. जी में रिपोर्ट।

(xx) प्रदर्श-X-जब्त वस्तुओं को एफ. एस. एल. को भेजने के लिए आवेदन की छायाप्रति।

7. अभियोजन साक्ष्य के समापन के बाद, अभियुक्त व्यक्तियों से धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत पूछताछ की गई, जिसमें उन्हें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में आने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, ताकि उन्हें उन परिस्थितियों को समझाने का अवसर मिल सके। इस जाँच के दौरान, सभी अपीलार्थियों ने निर्दोष होने का दावा किया और कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य झूठे हैं। अपीलार्थी/शशि सिंह ने यह भी दावा किया कि उनका रक्त समूह बी (+) है। अपीलार्थी धीरज कुमार ने यह भी दावा किया है कि उनका रक्त समूह बी (+) है जिसे सत्यापित किया जा सकता है और उन्हें गाँव की राजनीति में गलत तरीके से फंसाया गया है। अपीलार्थी/कारू सिंह उर्फ अनीश कुमार ने यह भी दावा किया है कि घटना की कथित तिथि पर वह गाँव में नहीं था क्योंकि वह नवादा जिले में स्थित अपने ससुराल चैनपुरा गया था। उन्होंने यह भी दावा किया है कि कृष्ण सिंह का घर गांव के बीच में स्थित है न कि सुनसान जगह पर और कृष्ण सिंह के घर से +2 विद्यालय जाने का रास्ता विभिन्न घरों से घिरा हुआ है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनका रक्त समूह बी(-) है।

8. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य की सराहना करने और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद, आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया जिसमें पाया गया कि पीड़िता घटना की तारीख को बालिग थी और अभियोजन पक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) के तहत बनाए गए आरोप को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा। हालाँकि, अधिकांश दोषियों को देखते हुए, अपीलार्थियों को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) और 376 (डी ए) के तहत बनाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया था।

9. हमने अपीलार्थियों के लिए विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान अपर लोक अभियोजक के साथ-साथ सूचनादाता के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

10. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि अभिलेख पर साक्ष्य के अनुसार भी, अभियोजन पक्ष का मामला अपीलार्थियों के खिलाफ अत्यधिक संदिग्ध है। अभियोजन पक्ष के मामले के पहले विवरण को अभियोजन पक्ष द्वारा रोक दिया गया है क्योंकि कथित घटना के संबंध में, न केवल *संहा* महकर थाना में दर्ज किया गया था, बल्कि पीड़िता के पिता द्वारा बनारस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। लेकिन *संहा* और बनारस में दर्ज प्राथमिकी की प्रति रिकॉर्ड में नहीं लाई गई है। वह यह भी प्रस्तुत करता है कि पीड़िता के साथ-साथ उसके माता-पिता की गवाही सुधारों, विरोधाभासों और विसंगतियों से भरी हुई है जो अभियोजन पक्ष के मामले को अत्यधिक संदिग्ध बनाती है। अभियोजन पक्ष का मामला भी चिकित्सा और फोरेंसिक साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश कानून की नजर में विधिसंगत नहीं हैं और इन्हें दरकिनार किया जा सकता है।

11. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान अपर लोक अभियोजक और सूचनादाता के लिए विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश के आक्षेपित फैसले का बचाव करते

हुए कहा कि अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया है और उचित रूप से सजा सुनाई गई है। आक्षेपित निर्णय और सजा सुनाने के आदेश में कोई अवैधता या कमी नहीं है।

12. शुरुआत में, दोहराव की कीमत पर, यह उल्लेख करना उचित है कि विचारण न्यायालय ने सूचनादाता/पीड़िता को घटना की कथित तारीख को बालिग पाया है और सभी अपीलार्थियों को तदनुसार पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (3) और 376 (डी. ए.) के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है और विद्वान विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए, हम घटना की तारीख को पीड़िता को एक बालिग के रूप में मानने के लिए बाध्य हैं। अब, हमारे सामने यह तय करने के लिए केवल एक सवाल है कि क्या अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे साबित किया है कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी के तहत दंडनीय अपराध के दोषी हैं।

13. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर आते हुए, हम पाते हैं कि **पीड़िता** की जाँच **अभि.सा.2** के रूप में की गई है। पीड़िता और उसकी जाँच-प्रमुख की लिखित रिपोर्ट के अवलोकन से, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष उसकी गवाही में भौतिक सुधार और विरोधाभास हैं। अपनी लिखित रिपोर्ट में दिए गए अपने बयान को दोहराने के अलावा, उसने बयान दिया है कि बलात्कार के बाद वह भाग गई। वह माध्य विद्यालय के बगीचे में छिप गई और आरोपी व्यक्ति उसके घर तक उसका पीछा करते रहे। विद्यालय के बगीचे से, वह *दुर्गा पूजा* के स्थान पर वापस चली गई और 2 से 3 बजे जब लोग घर वापस जाने लगे, वह भी उनके साथ अपने घर वापस चली गई और अपने कमरे में अपनी माँ के बगल में बैठ गई। लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया और पढ़ाई के बहाने, वह अगली सुबह 6 बजे आत्महत्या करने के इरादे से अपने घर से निकली और जब वह बेला स्टेशन पहुंची, तो वह एक बूढ़े आदमी और एक बूढ़ी औरत से मिली, जिसने उसे आत्महत्या करने

से रोका और उसे अपने साथ अपने घर जाने के लिए कहा और वे उसे अपने चार पहिया वाहन में अपने घर ले गए जहाँ वह एक रात रही। अगले दिन, उसके पूछने पर, उन्होंने उसे चंदौली बस स्टैंड पर छोड़ दिया, जहाँ से वह बस से बनारस गई और वह सुबह होने तक बस स्टैंड पर दो-तीन घंटे तक रही और वह पुलिस हिरासत में चली गई और उसने पुलिस को बताया कि वह लापता है। इसलिए, पुलिस उसे बालगृह ले गई। पुलिस ने उसके माता-पिता को सूचना दी। इसलिए, उसके माता-पिता और 2-4 सह-ग्रामीण उसे ले जाने के लिए वहाँ आए। पूछताछ करने पर, उसने उन्हें घटना के बारे में सब कुछ बताया। उसे उसके माता-पिता उसके घर ले गए और उसके बाद, वह महकर थाना गई, लेकिन महकर थाना ने मामला नहीं लिया और उसे महिला थाना जाने की सलाह दी। यहां तक कि महिला थाना में भी उन्हें बताया गया कि साहब नहीं आए हैं और उन्हें अगले दिन आने की सलाह दी गई थी। अगले दिन भी, 2 या 3 बजे तक, संबंधित अधिकारी नहीं आया था। फिर वह सी. डब्ल्यू. सी. चली गईं। इसलिए थाने में मामला दर्ज किया गया। लिखित रिपोर्ट उनके भाई अंकित कुमार ने तैयार की थी। अपने मुख्य परीक्षण में, उसने यह भी गवाही दी है कि उसकी जींस, टी-शर्ट और ब्लेज़र को जब्त कर लिया गया था और एक महीने के बाद पुलिस ने उसे ले लिया था।

14. अपने **प्रति-परीक्षण** में, अभि.सा.2 (पीड़िता) ने विरोधाभासी बयान देते हुए कहा है कि घटना के बाद, वह मंदिर गई थी जो उसके घर से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है और वह वहां डेढ़ घंटे तक रही, जबकि अपने मुख्य परीक्षण में, उसने गवाही दी है कि बलात्कार के बाद, वह वापस उस स्थान पर चली गई थी जहाँ *दुर्गा पूजा* थी।

15. अपने प्रति-परीक्षण में उसने आगे कहा कि मामला दर्ज करने के बाद आरोपी व्यक्ति उसे धमकी दे रहे थे। इसलिए वह दिल्ली चली गई। दिल्ली में उसके माता-

पिता ने मोहित कुमार के खिलाफ मुंडिका थाना में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद, उसे जिला बेगुसराय के गाँव-सिंहमा, वार्ड नं. 1 *दुर्गा स्थान* से बरामद किया गया।

16. अपने प्रति-परीक्षण में, उसने आगे विरोधाभासी बयान दिया है कि वह गया से ट्रेन से चंदौली गई थी और पुलिस उसे बनारस ले गई थी। उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत दर्ज उसके पूर्ववर्ती कथन से आमने-सामने कराया गया, जिसमें उसने बताया था कि बेला स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग पुरुष और एक बुजुर्ग महिला से हुई, जिन्होंने उसे मुगलसराय ले जाया, जहाँ से वह बस द्वारा बनारस गई, जहाँ एक व्यक्ति ने पुलिस को बुलाया और पुलिस उसे बालगृह ले गई। लेकिन अपने प्रति-परीक्षण के दौरान उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने इस तरह के बयान दिए थे।

17. पीड़िता ने इस बात से इनकार किया है कि उसे और उसके माता-पिता को सरकार से धन प्राप्त करने के लिए पॉक्सो अधिनियम के तहत झूठे मामले दर्ज करने की आदत है। उसने यह भी बयान दिया है कि मुंडिका थाना में वह स्वेच्छा से गई थी और पैसे पाने का कोई सवाल ही नहीं था।

18. इस प्रकार, हम पाते हैं कि अभियोजक सुसंगत और विश्वसनीय नहीं है। उसकी गवाही अभियोजन पक्ष के मामले को अत्यधिक संदिग्ध बनाती है।

19. **पीड़िता के पिता** का **अभि. सा.-1.** के रूप में परीक्षण किया गया है। वह इस घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। अपने **मुख्य-परीक्षण** में, उन्होंने कहा कि घटना की रात जब उसकी बेटी देर तक घर नहीं आई, तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी और कुछ लोगों ने उन्हें सूचित किया कि उसे विद्यालय ले जाया गया है। फिर वह दूसरों के साथ विद्यालय की ओर बढ़ा और उनके आने की आवाज सुनकर आरोपी लोग भाग गए और उसे फटे कपड़ों में बेटी मिली। उसे उसकी बेटी ने सूचित किया कि तीन आरोपी जो यहाँ अपीलकर्ता हैं, ने उसके साथ बलात्कार किया था। हम पाते हैं कि पीड़िता के पिता की ऐसी गवाही पीड़िता की गवाही के अनुरूप नहीं है। पीड़िता/सूचनादाता ने अपनी गवाही में कहा है

कि घटना के बाद, वह दुर्गा पूजा के स्थान पर वापस चली गई। उसने यह भी नहीं बताया कि घटना के बाद वह अपने पिता, माँ और कुछ सह-ग्रामीणों से मिली थी।

20. अपने **प्रति-परीक्षण** में उसने कहा कि रात में वह अपनी बेटी की तलाश में सुबह के लगभग 1 से 2 बजे गया था। उस समय उसके साथ केवल उसकी पत्नी थी और कोई सह-ग्रामीण नहीं था। अगले दिन, सूचनादाता/पीड़िता साइकिल पर प्रशिक्षण के लिए अपने घर से निकली और वह छह दिनों के लिए घर से दूर थी। बूढे आदमी और बूढी औरत के नाम का खुलासा उनकी बेटी ने आज तक नहीं किया है। जब उन्होंने बनारस में चाइल्ड लाइन से अपनी बेटी को प्राप्त किया था, तो उन्हें प्राथमिकी की एक प्रति मिली थी। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उन्होंने बनारस में भी प्राथमिकी दायर किया था और इसकी एक प्रति दाखिल की जाएगी। उसने यह भी बयान दिया है कि उसने अपनी बेटी (इस मामले की पीड़िता) के अपहरण के संबंध में दिल्ली के मुंडिका थाना में मोहित कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया था और जांच के बाद पुलिस ने उसे बेगुसराय से बरामद कर लिया था। उन्होंने आगे गवाही दी कि कुल तीन मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि घटना के दिन, उन्हें घटना के संबंध में डिप्पू और उनकी मां शारदा के खिलाफ संदेह था। उन्हें दूसरों के खिलाफ कोई संदेह नहीं था।

21. इस गवाह का साक्ष्य भी हमारे विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी के बयान के विपरीत बयान दिए हैं। उन्होंने बनारस में दर्ज किए गए पुलिस मामले का पहला विवरण भी रिकॉर्ड में नहीं लाया है। हालाँकि उसने दावा किया है कि घटना की रात, (16-17 अक्टूबर) तलाशी के दौरान, उसकी बेटी ने खुलासा किया था कि अपीलार्थियों ने उसके साथ बलात्कार किया था, उसने इसके तुरंत बाद इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया और इसके बजाय, उसके द्वारा 20.10.2022 पर सूचनात्मक याचिका दायर की गई थी।

22. पीड़िता की मां की जांच **अभि.सा.-4**. के रूप में की गई है वह इस घटना की चश्मदीद गवाह भी नहीं है। अपने **मुख्य परीक्षण** में, उसने घटना की रात को अपने पति के साथ अपनी बेटी की खोज के बारे में कुछ नहीं कहा है। इस प्रकार, पीड़िता के पिता (अभि.सा.1) और वर्तमान गवाह जो पीड़िता की माँ है, के बयान के बीच कोई एकरूपता नहीं है। अभि.सा.-1 (पीड़िता के पिता) की गवाही के अनुसार, रात के 1 से 2 बजे, जब उनकी बेटी *दुर्गा पूजा* कार्यक्रम से देर तक वापस नहीं आई तो वह अपनी पत्नी यानी वर्तमान गवाह के साथ अपनी बेटी को खोजने के लिए अपने घर से बाहर आया था।लेकिन, इस गवाह का ऐसा कोई बयान नहीं है।

23. अपने **प्रति-परीक्षण** में, अभि.सा.4 ने बयान दिया है कि उसकी बेटी पहले ही बनारस में एक आपराधिक मामला दर्ज कर चुकी थी, जैसा कि उसकी बेटी ने उसे बताया था। 20.10.2021 को, रात के 10-11 बजे, उसे बनारस से जानकारी मिली थी कि उसकी बेटी बरामद कर ली गई है। उसने यह भी बयान दिया है कि 17.10.2021 पर, उसने अपनी बेटी के बारे में महकर थाना को लापता होने की जानकारी दी थी, जिसमें एक रोशन कुमार के खिलाफ संदेह जताया गया था। इसलिए, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अभि.सा.-1 (पीड़िता के पिता) के बयान के अनुसार जब वह और वर्तमान गवाह रात में अपनी बेटी की खोज कर रहे थे, तो वे अपनी बेटी से उस विद्यालय के पास मिले जहां उसे कथित रूप से प्रताड़ित किया गया था, उसकी बेटी ने उन्हें सूचित किया था कि अपीलार्थियों ने उसके साथ बलात्कार किया था। लेकिन 16-17 की रात को उसकी बेटी से इस तरह की जानकारी मिलने के बावजूद, माता-पिता द्वारा प्राथमिकी पुलिस में दर्ज नहीं कराई गई। इसके बजाय, यह गुमशुदगी की रिपोर्ट माँ द्वारा दर्ज कराई गई थी। सूचनात्मक याचिका की सं. 387/2021 थी लेकिन इस सूचनात्मक याचिका को भी अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है। उन्होंने आगे गवाही दी कि गाँव में यह अफवाह चल रही थी कि वह रौशन कुमार है जिसने उसकी बेटी को बहकाया था।

24. अभि.सा.5 मध्य विद्यालय, नैली के प्राचार्य हैं। लेकिन पीड़िता की उम्र के संबंध में विचारण न्यायालय के फैसले को कोई चुनौती नहीं है। इसलिए, इस गवाह के साक्ष्य पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

25. अभियोजन मामले को **अभि.सा.6 डॉ. शकुंतला नाग** से भी समर्थन नहीं मिलता है जिन्होंने 23.10.2021 पर सूचनादाता/अभियोजक की चिकित्सकीय-कानूनी जांच की थी। उन्हें अभियोजक के शरीर पर हिंसा और संघर्ष का कोई निशान नहीं मिला था। उन्हें वर्तमान यौन संभोग के कोई संकेत या लक्षण नहीं मिले, न ही उन्हें कोई अन्य असामान्य प्राप्तियाँ मिली। अपने **प्रति-परीक्षण** में, उन्होंने यह भी कहा है कि सामूहिक बलात्कार में बाहरी जननांग को चोट लगना या घाव होना आवश्यक है, लेकिन अभियोजक के निजी हिस्से में ऐसी कोई चोट नहीं थी। उन्हें कोई भी शुक्राणु मृत या जीवित नहीं मिला। उन्होंने लघु भगोष्ठ को भी लाल नहीं पाया।

26. अभि.सा.7, सुरेंद्र पासवान मामले के जाँच अधिकारी हैं। उन्होंने पीड़िता से संबंधित नीली जंघिया, नीली जींस पैंट, ग्रे फुल टी-शर्ट और काला ब्लेज़र जब्त किया था और उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए एफ.एस.एल, पटना भेजा गया था। उन्होंने यह भी गवाही दी कि 20.10.2021 को दिनांकित *सन्हा* सं. 387 में जैसा कि पीड़िता की मां ने दर्ज कराया था, वर्तमान घटना के बारे में कुछ नहीं कहा गया था।

27. अभि.सा.8, अजय कुमार, एफ.एस.एल, पटना में सहायक निदेशक हैं। फोरेंसिक जांच के अनुसार, पीड़िता के *जंघिया* पर समूह बी का मानव रक्त पाया गया था। हालांकि, पीड़िता के पास से जब्त किए गए अन्य कपड़ों पर कोई मानव रक्त नहीं पाया जा सका। पीड़िता के पास से जब्त किए गए किसी भी कपड़े में वीर्य भी नहीं पाया गया था।

28. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (डी) के तहत आरोप को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है।

29. इसलिए, दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और सजा का आदेश कानून की नजर में विधिसंगत नहीं है। तदनुसार, उन्हें अलग रखा जाता है।

30. अपील की अनुमति है।

31. अपीलार्थी शशि सिंह उर्फ शशि रंजन जमानत पर हैं। उन्हें अपने बंधपत्र के तहत अपने दायित्व से मुक्त कर दिया जाता है।

32. चूंकि अपीलार्थी कारू सिंह उर्फ अनिश कुमार उर्फ अनीश कुमार और धीरज कुमार हिरासत में हैं, इसलिए यदि उन्हें किसी अन्य मामले में हिरासत में लेने या वांछित किये जाने की आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

33. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और अभिलेख के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

34. मुकदमे के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

35. अंतर्वर्ती आवेदन/ओं, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(जितेंद्र कुमार, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

एस.अली/रविशंकर/शोएब

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।